इटावा पुलिस

प्रेस नोट दिनांक-22.02.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी आजीवन कारावास की सजा तथा 5,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना बकेवर व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी आजीवन कारावास की सजा तथा 5,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 21.07.202 को वादी जबर सिंह पुत्र बाबूराम ग्राम मडौली थाना बकेवर जनपद इटावा की तहरीर के आधार पर वादी की पुत्री की मोटर साइकिल की राड व चाकू से हमला कर हत्या कर देने के संबंध मे थाना बकेवर पर **मु0अ0स0 336/21 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी श्री राकेश कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना बकेवर द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना चकरनगर पुलिस टीम पैरोकार का0 जयचन्द्र एवं मानीटरिंग सैल व ए0डी0जी0सी0 श्री संजीव चतुर्वेदी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को **आज दिनांक 22.02.2024 को अन्तर्गत धारा 302 भादवि में मा0 न्यायालय ADJ-10/स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट इटावा द्वारा आजीवन कारावास की सजा तथा 5,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **अमित बाबू उर्फ खुशीलाल पुत्र स्व0 होम सिंह निवासी भडौली थाना बकेवर जनपद इटावा।**